**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कम्प्यूटर शाखा में संविदा कर्मचारी**

1913. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कम्प्यूटर शाखा में कुछ कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संविदा आधार पर कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें निर्धारित वेतन-मान नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और वे कब से संविदा आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या प्राधिकरण ऐसे कर्मचारियों को निर्धारित वेतनमान देने का विचार रखता है, जो अपने पदों की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक तथा तकनीकी अर्हता प्राप्त है;

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कर्मचारियों के नियमित न होने के कारण उन्हें होने वाली आर्थिक हानि से बचाने के लिए प्राधिकरण द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहें है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण में संलग्न हैं (नीचे देखिए)।

(ग) से (ङ) संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को संविदा अवधि के लिए कार्य करना होता है और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत संविदा शर्तों के अनुसार काम को पूरा करना होता है। चूंकि इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 और उत्तर प्रदेश प्राधिकरण की केन्द्रीयकृत सेवाओं में कोई कम्प्यूटरीकृत सेवा/कॉडर और पद उपलब्ध नहीं है, इसलिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ठेके आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित रोजगार तथा वेतनमान देना संभव नहीं है।

## विवरण

**गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में ठेके के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के ब्यौरे**

| क्र०सं० | नाम | पदनाम | नियुक्ति तारिख |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री मुकेश त्यागी | असिसटेंट प्रोग्रामर | 7.4.88 |
| 2. | श्री नीरज वर्मा | डाटा इन्ट्री आपरेटर कम चेकर | 11.4.88 |
| 3. | श्रीमती पूनम सहगल | -वही- | 11.4.88 |
| 4. | श्रीमती गीता गर्ग | -वही- | 13.4.88 |
| 5. | श्री विनीत गुप्ता | -वही- | 1.1.89 |
| 6. | श्री अरुण पवार | -वही- | 23.1.89 |
| 7. | श्री प्रदीप शर्मा | -वही- | 22.7.89 |
| 8. | श्री दिनेश शर्मा-I | -वही- | 22.7.89 |
| 9. | श्रीमती मधु पासी | -वही- | 22.7.89 |
| 10. | श्री दिनेश शर्मा-II | -वही- | 16.9.89 |
| 11. | श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता | -वही- | 15.12.89 |
| 12. | श्री पुनीष दीक्षित | -वही- | 12.5.90 |
| 13. | श्री धर्मेन्द्र त्यागी | -वही- | 10.7.90 |
| 14. | श्री सचेन्द्र कुमार | -वही- | 16.7.90 |
| 15. | श्री शुभान्य सू मिश्रा | -वही- | 12.7.90 |
| 16. | श्री परवीन कुमार | -वही- | 5.8.91 |
| 17. | श्रीमती अल्का सिन्हा | -वही- | 8.8.91 |

**Row Over Setting up of Diamond Park in Indore**

1914. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Hindustan Times dated the 16th July, 1996 captioned "Experts to look into diamond Park row";

(b) whether the high level team of the Department of Atomic energy Security Cell visited Indore in July, 1996 to look into the possible treat to the safety of the Centre for Advanced Technology in view of the planned setting up of a diamond park by the Madhya Pradesh Government at village Rangwasa in Indore district; and

(c) if so, the details thereof and the reasons for establishment of such a park in Indore which was a prohibited area and for which security clearance is necessary for reasons of espionage activities by foreigners visiting the diamond park?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) In his report on the subject, Director, Centre for Advanced Technology, Indore has not envisaged any prima facie security risk to the said Centre because of the proposed establishment of the Diamond Park at Rangwasa in Indore District but has suggested a review of this issue by Security Officers of the Department of Atomic Energy. No team of the Department has so far visited Indore for this purpose. Before the visit of this Department's team, copies of orders of the High Court and Supreme Court in respect of the petitions concerning land acquisition proceedings for the proposed diamond park also need to be gone into.

**मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता**

1915. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता कितनी है तथा अब तक इसका कितना उपयोग किया गया है;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का चालू वर्ष तथा आगामी तीन वर्षों में उपयोग करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का उचित ढंग से दोहन करने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय)** (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता के बारे में राज्यवार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन/विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कदम उठा रही है। इनमें अन्यों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करना, अल्कोहलयुक्त पेयों के किण्वन व आसबन चीनी और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकतर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना, राजकोषीय सहायता प्रदान करना, घरेलू विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेश को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। यह मंत्रालय कई योजना स्कीमें भी चला रहा है जिनमें राज्य सरकार के संगठनों/सहकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों आदि को खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना अथवा विस्तार, किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज के विकास, विपणन समर्थन, सूअर मांस, पॉल्ट्री, मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, मछली प्रसंस्करण, कोल्ड चेन की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग में अनुसंधान और विकास तथा कतिपय क्षेत्रों में जनशक्ति के प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है।

खाद्य उत्पादों के निर्यात के राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। फिर भी, देश से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात प्रतिवर्ष 18% से 20% की अधिकतम दर पर बढ़ रहा है और इस प्रवृत्ति के बने रहने की आशा है।

इन स्कीमों का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों समेत पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का सम्पूर्ण विकास करना है।

**Setting up of Power Plants in Orissa and Andhra Pradesh**

1916. SHRI K. M. KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any organisation in private sector propsoes to set up a 250 MW power plant in the eastern coastal area of Orissa.

(b) if so, the details thereof, together with the progress made in this regard;

(c) whether Government propose to ask the said organisation to set up similar Power Plants in the coastal areas of Andhra Pradesh in near future; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?